न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 91 / 2022

1 पालाराम पुत्र प्रभातलाल जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 1 ढाणी हरजीवाला कस्बा उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 प्रभातलाल पुत्र रेखाराम
2 मदनलाल पुत्र प्रभातलाल
3 शीशराम पुत्र प्रभातलाल
4 सीताराम पुत्र प्रभातलाल
5 शंकर पुत्र रेखाराम
समस्त जातियान माली निवासीगण वार्ड नम्बर 1 ढाणी हरजीवाला कस्बा उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
6 तहसीलदार महोदय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.07.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी मुकदमा पालाराम बनाम प्रभातलाल आदि दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 194 / 2021

उपस्थिति :
1. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जुगलकिशोर सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 7/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 194/2021 में पारित निर्णय दिनांक 06.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 182, 180, 181, 186, 187 वाके ग्राम उदयपुरवाटी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष जो दावा प्रस्तुत किया था, उसमें अपीलान्ट ने अपनी पैतृक काश्त की भूमि एवं खसरा नम्बर 182 में खरीदे गये हिस्से का विभाजन करवाने हेतु दावा प्रस्तुत किया जिसमें अपीलान्ट ने राजस्व रिकार्ड एवं दावे की प्लींडिग में स्पष्ट अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 प्रभातलाल को भूमि खसरा नम्बर 182, 180, 181, 186 कुल किता 04 कुल रकबा 7.62 हैक्टेयर में पिता रेखाराम की मृत्यु के पश्चात 1/2 हिस्से की खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। उक्त खातेदारी अधिकारी जरिये उत्तराधिकार उत्तराधिकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को प्राप्त हुए। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 लगायत 4 प्रभातलाल के पुत्रगण है और मृतक रेखाराम के पौत्रगण होने से पैतृक संपत्ति में अपने पिता प्रभातलाल के साथ अपीलान्ट को भी जरिये उत्तराधिकार भूमि प्राप्त हुई है लेकिन विचारण न्यायालय ने दावे की प्लींडिग का समग्र रूप से अध्ययन किये बिना ही प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का इस आधार पर स्वीकार करने में भारी कानूनी भूल की है कि, अपीलान्ट भूमि का रिकार्डेड खातेदार न होने से विभाजन करवाने का कोई अधिकार न रखता हो। इसलिए विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.07.2022 विधि विरूद्व व पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

समक्ष अपीलान्ट के द्वारा दावा दायरी के बाद रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी हुए और नोटिस जारी होने के बाद रेस्पोडेन्टस को दावे का जवाब प्रस्तुत किया जाना चाहिए था और उस जवाबदावे के माध्यम से आपत्ति उठायी जानी चाहिए थी लेकिन उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्टस के द्वारा न तो जवाबदावा प्रस्तुत किया गया और न ही विधि के प्रावधानों के अनुरूप ही आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में भारी कानूनी भुल की है जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज होने का दस्तावेज भूमि खसरा नम्बर 182 के संदर्भ में आ चुका था तथा शेष खसरा नम्बरान की भूमि का पैतृक संपत्ति होने का कथन आ चुका था। ऐसी सूरत में विचारण न्यायालय को दावा विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर खारिज किये जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। इसलिए आदेश दिनांक 06.07.2022 खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने यह स्थिति स्पष्ट कर दी कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 अपीलान्ट को उसकी पैतृक एवं खरीदी गयी भूमि से बेदखल करने का नाजायज रूप से अमादा है तथा पैतृक भूमि में जो अपीलान्ट का हक हिस्सा बनता है, उससे महर्रूम करने के लिए भूमि को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 खुर्द–बुर्द करने का अमादा है। उक्त तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष आने के बाद भी विचारण न्यायालय ने विधि का गलत रूप से निवर्चन करते हुए वाद को वर्जित मानने में कानूनी भूल की है जबकि सहखातेदार एवं सहहिस्सेदार अपनी भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा करवाने के कानूनन अधिकारी होते है लेकिन विचारण न्यायालय ने ऐसा नहीं मानने में उक्त प्रकरण में भारी भुल की है। इसलिए विचारण न्यायालय का निर्णय खारिज होने योग्य है। उक्त दावा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी की उपधारा डी के तहत किसी भी प्रकार से विधि द्वारा वर्जित नहीं था लेकिन विचारण न्यायालय ने बिना किसी कानूनी व्याख्या के ही उक्त दावा को विधि द्वारा वर्जित मानने में कानूनी भुल कर दी। इसलिए निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.07.2022 को खारिज करने आदेश फरमाया जावे करे तथा साथ ही विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद को पुनः नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पर लिये जाकर विचारण न्यायालय को गुणावगुण पर प्रकरण को निस्तारित किये जाने का आदेश प्रदान करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि ग्राम उदयपुरवाटी भूमि के खसरा नम्बर भूमि खाता संख्या 452 का भूमि खसरा नम्बर 182 रकबा 6.62 है., खाता संख्या 459 का खसरा नम्बर 180 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 181 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.93 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 7.62 हैक्टेयर का वादी विभाजन चाहा। लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादी भूमि खसरा नम्बर 182 का ही रिकार्डेड खातेदार है। शेष खसरा नम्बर का वादी रिकार्डेड खातेदार नहीं है। भूमि का रिकार्डेड खातेदार ही विभाजन करवाने का अधिकारी होता है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधिक वर्जित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन वाद को आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष जो दावा प्रस्तुत किया था, उसमें अपीलान्ट ने अपनी पैतृक काश्त की भूमि एवं खसरा नम्बर 182 में खरीदे गये हिस्से का विभाजन करवाने हेतु दावा प्रस्तुत किया जिसमें अपीलान्ट ने राजस्व रिकार्ड एवं दावे की प्लींडिग में स्पष्ट अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 प्रभातलाल को भूमि खसरा नम्बर 182, 180, 181, 186 कुल किता 04 कुल रकबा 7.62 हैक्टेयर में पिता रेखाराम की मृत्यु के पश्चात 1/2 हिस्से की खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। उक्त खातेदारी अधिकारी जरिये उत्तराधिकार उत्तराधिकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को प्राप्त हुए। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 लगायत 4 प्रभातलाल के पुत्रगण है और मृतक रेखाराम के पौत्रगण होने से पैतृक संपत्ति में अपने पिता प्रभातलाल के साथ अपीलान्ट को भी जरिये उत्तराधिकार भूमि प्राप्त हुई है लेकिन विचारण न्यायालय ने दावे की प्लींडिग का समग्र रूप से अध्ययन किये बिना ही प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय को जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारणं न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 7/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर